

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 73/18

अनवान : 1. देवीलाल पुत्र नानूराम(ननूराम) जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।  
-वादी

**बनाम**

1. नानूराम(ननूराम) पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
  2. जगदीश
  3. बलवीर
  4. दलीप
  5. धोलूराम
  6. अमरसिंह
- नानूराम(ननूराम) पुत्र जीवणराम जाति जाट  
निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. गुड्डीदेवी पुत्री नानूराम (ननूराम) पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी  
नेठराना हाल दोलतपुर खेड़ा तहसील सिरसा।
  8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 एनटीआर के खाता सं० 77/68 के मु. न. 18 किला न. 21-22, मु० न. 19 के किला न. 24-25 मु० न० 22 किला न० 4 ता 7, 14 ता 17, मु.न. 23 के किला न. 1, 10, 11, 20 की कुल 4.048 हैक्टर नहरीमय खाला रास्ता की भूमि में प्रतिवादी नानूराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा चक 5 एनटीआर के खाता सं. 80/71 की कुल 3.390 हैक्टर प्रतिवादी नानूराम के नाम यथावत रखी जावे। प्रतिवादी सं० 1 व 7 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

RAS